निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र 1932 (शo)

(सं0 पटना 231) पटना, बुधवार, 7 अप्रील 2010

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

29 मार्च 2010

सं0 वि०स०वि०-09/2010-1109/वि०स०।—''रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) विधेयक, 2010'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 29 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

[वि०स०वि०-4/2010]

रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) विधेयक, 2010

बिहार राज्य में लागू होने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–(1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम–16, 1908) की धारा–8 का प्रतिस्थापन।—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम, 16, 1908) की धारा–8 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी–

   ''8– उप–रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी– (1) राज्य सरकार एक या अधिक उप–रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक नियुक्त कर सकेगी तथा ऐसे पदाधिकारियों के कर्त्तव्यों का निर्धारण कर सकेगी।

   (2) ऐसे सभी उप–रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के अधीनस्थ होंगे।

   (3) राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की कुछ या सभी कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। ''

3. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम 16, 1908) की धारा–17 की उप–धारा (1) के खंड (घ) का प्रतिस्थापन।– रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा–17 की उप–धारा (1) का खंड (घ) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा–

   ''(घ) अचल संपत्ति के पट्टे; एवं ''

4. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम 16, 1908) की धारा–18 का संशोधन।– ''रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा–18 का खंड (ग) विलोपित किया जाएगा।''

5. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम 16, 1908) की धारा–28 का संशोधन।– रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा–28 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा–

   '' परन्तु ऐसे दस्तावेज जिला मुख्यालय के अवर निबंधक, जिसका कार्यालय निबंधक के कार्यालय के साथ समामेलित किया गया है और जिसके जिला के क्षेत्राधिकार में दस्तावेज में वर्णित संपूर्ण सम्पत्ति अवस्थित हो, भले ही वह एक या एक से अधिक उप–जिले में अवस्थित हो, के समक्ष भी उपस्थापित किए जा सकेंगे। ''

6. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम 16, 1908) की धारा–30 का संशोधन।–''रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा–30 का कोष्ठक सहित अंक ''(1)'' विलोपित किया जाएगा।''

वित्तीय संलेख

वर्त्तमान में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा–17 एवं धारा–18 के खंड (ग) के अनुसार एक वर्ष से कम अवधि वाले पट्टा (लीज) दस्तावेज का निबंधन ऐच्छिक है।

इस संशोधन के बाद ऐसे एक वर्ष से कम अवधि वाले पट्टा (लीज) दस्तावेजों का निबंधन अनिवार्य होगा।

इस संशोधन के द्वारा कोई नया कर, शुल्क अथवा अधिभार अधिरोपित नहीं किया जा रहा है। विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(विजेन्द्र प्रसाद यादव)
भारसाधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

पदाधिकारी के पदनाम के परिवर्त्तन से उनकी गुणवत्ता एवं मनोबल में वृद्धि, एक वर्ष से कम अवधि वाले पट्टा (लीज) दस्तावेजों का निबंधन अनिवार्य किया जाना एवं एक जिला के किसी भी निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित भूमि/सम्पत्ति का निबंधन जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय में कराए जाने की सुविधा प्रदान करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(विजेन्द्र प्रसाद यादव)
भारसाधक सदस्य

पटनाः
दिनांक 29 मार्च 2010

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सचिव,
बिहार विधान–सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 231-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in